

# शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर


कार्यालय दूरभाष नंबर:- 0731-2527383,2527679

ईमेल:-[dean-mgmmc@mp.gov.in](mailto:dean-mgmmc@mp.gov.in)

वेबसाइट:-<http://www.mgmmcindore.in/>

// विज्ञप्ति //

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के अंतर्गत आने वाले संस्थान म.य. चिकित्सालय परिसर में आधुनिक एकीकृत वेडिंग सुविधा के साथ सार्वजनिक शौचालय का संचालन व रखरखाव के ठेके हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त कार्य की अधिक जानकारी निर्धारित वेबसाइट:-  
<http://www.mgmmcindore.in/> के माध्यम से ली जा सकती है अथवा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक आवेदनकर्ता अपना आवेदन सील बंद लिफाफे में दिनांक 26.02.2021 समय सांय 05:30 बजे तक कार्यालयीन समय में महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर में जमा करावें।

  
3/2/21  
अधिष्ठाता

म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर

१

# महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

## सूचना

म.य. चिकित्सालय परिसर में आधुनिक एकीकृत वेडिंग सुविधा के साथ सार्वजनिक शौचालय का संचालन व रखरखाव के संबंध में विशेष सूचना निम्नानुसार है:-

- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26.02.2021 तक रहेगी।
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26.02.2021 समय सांय 05:30 बजे तक रहेगी।
- प्री-बीड मीटिंग की दिनांक 11.02.2021 समय दोपहर 02:00 बजे रहेगी।
- बीड ओपनिंग मीटिंग में लिफाफा अ व लिफाफा ब दिनांक 01.03.2021 समय दोपहर 02:00 बजे खोले जावेंगे।
- लिफाफे स की सूचना दुरभाष पर दी जावेगी।

उपरोक्त समस्त बैठके अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के कांफ्रेंस हॉल में रखी जावेगी। जो आवेदनकर्ता इसमें उपस्थित रहना चाहते हैं वे उपस्थित रह सकते हैं। टेण्डर संबंधी अन्य सूचनाएं समय-समय पर चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट <http://www.mgmmcindore.in/> से प्राप्त की जा सकती है।



(DR. SANJAY DIXIT)  
अधिष्ठाता

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय  
इन्दौर

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय  
एवं  
संबद्ध चिकित्सालय स्वशासी संस्था  
इंदौर (मध्यप्रदेश)

म.य. चिकित्सालय परिसर में आधुनिक एकीकृत वेडिंग सुविधा के साथ  
सार्वजनिक शौचालय का संचालन व रखरखाव के लिये आवेदन फार्म

(2020-2021)

मूल्य रुपये 2,000/-

(प्रति फार्म)

# महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के अंतर्गत आने वाले संस्थान म.य. चिकित्सालय परिसर में आधुनिक एकीकृत वेडिंग सुविधा के साथ सार्वजनिक शौचालय का संचालन व रखरखाव के ठेके की शर्तें एवं नियमावली :-

## (A) आवेदन प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर राशि ।

1. आवेदन प्रपत्र का मूल्य 2,000/-निर्धारित है यह प्रपत्र इस संस्थान के भण्डार शाखा से 2,000/- नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन प्रपत्र संस्थान की वेबसाईट:-<http://www.mgmmcindore.in/> से डाउनलोड कर उसका उपयोग किया जा सकता है ऐसी स्थिति में संबंधित को राशि रु. 2,000/-का बैंक ड्राफ्ट/ पे-ऑर्डर "मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधीष्ठाता म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर" के नाम से देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. ठेकेदार को आवेदन के साथ धरोहर राशि के रूप में सुरक्षा धनराशि रुपये 50,000/-अक्षरी पचास हजार रुपये की राशि "मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधीष्ठाता म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर" के नाम, A/C of Tender purchaser से फिक्सड डिपोजिट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की हो,जिसकी अवधि कम से कम तीन वर्ष की हो, प्रस्तुत करनी होगी।
4. ठेका स्वीकृत होने पर संबंधित को दो माह का किराया भी अग्रिम रूप से जमा करना होगा।
5. यदि ठेकेदार एक वर्ष के पूर्व स्वेच्छा से कार्य बंद करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में धरोहर राशि राजसात हो जावेगी ।

## (B) आवेदन प्रपत्र प्रस्ताव दरें एवं न्यूनतम दर प्रदायकर्ता का निर्धारण।

1. समस्त इच्छुक आवेदनकर्ता को अपना प्रस्ताव आवेदन प्रपत्र में ही देना होगा। आवेदन के समस्त पृष्ठों एवं संलग्नों पर हस्ताक्षर व मोहर लगानी होगी।
2. यदि दो या दो से अधिक आवेदनकर्ताओं के अनुदान प्रस्ताव समान है तो ऐसी स्थिति में कार्य अनुभव एवं अन्य योग्यता के आधार पर कार्य का आवंटन किया जावेगा इस संबंध में अधीष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा। जो की आपको मान्य करना होगा।
3. उपलब्ध कराये गये क्षेत्रफल जो कि संचालक को संचालन हेतु दिया जावेगा, में ही प्रतिष्ठान संचालित करना होगा अन्य क्षेत्र का उपयोग निषेध होगा। मासिक अनुदान राशि आवेदनकर्ता को आपने प्रस्ताव में उल्लेखित करना होगा तथा उक्त स्थान का न्यूनतम अनुदान प्रतिमाह रहेगा जो की निम्नानुसार है :-

क्रमांक	स्थान	न्यूनतम अनुदान प्रतिमाह	अनुदान प्रतिमाह आवेदनकर्ता द्वारा भरा जावेगा
01	म.य. चिकित्सालय,इंदौर	20,000 /-(बीस हजार रु.)	

आवेदनकर्ता द्वारा इच्छुक दरे न्यूनतम अनुदान प्रतिमाह के बराबर अथवा इससे अधिक अनुदान का प्रस्ताव 100 रुपये के गुणको में दे सकेगें ।

4. अधिकतम अनुदान प्रतिमाह करने वाले रिस्पोन्सिव आवेदनकर्ता को कार्य आवंटित किया जावेगा।
5. रिस्पोन्सिव दर प्रदायकर्ता का आशय यह है कि वह, संस्थान द्वारा जारी समस्त आर्हताओं आदि को पूर्ण करता है एवं उसने निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित धरोहर राशि आदि जमा कर निर्धारित समय में अपना प्रस्ताव आवश्यक संलग्नों सहित प्रस्तुत किया है।

(C) आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक व समय तथा आवेदन खोलने की दिनांक समय व स्थान।

1. आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक 26.02.21 समय 5.30 बजे तक निर्धारित है, सील बन्द प्रस्ताव अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के कार्यालय में निर्धारित समय तक प्राप्त होना चाहिए।
2. प्राप्त आवेदन दिनांक 01.03.21 समय 2.00 बजे अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के कांफ्रेंस हॉल में खोले जावेंगे।
3. जो आवेदनकर्ता इसमें उपस्थित रहना चाहते हैं वे उपस्थित रह सकते हैं।

(D) आवेदन धरोहर राशि प्रपत्र, प्रस्ताव, दरें आदि जमा करने की प्रक्रिया।

इच्छुक आवेदनकर्ताओं को निम्नानुसार प्रस्ताव सील बंद लिफाफे में निर्धारित समय तक प्रस्तुत करना होगा।

(E) प्रस्ताव निम्नानुसार सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावें

➤ लिफाफा :- A- में निम्नानुसार रखा जावें।

- धरोहर राशि रु. 50,000/- फिक्स डिपोजिट राष्ट्रियकृत बैंक की तीन वर्ष के लिये।
- आवेदन प्रपत्र का मूल्य राशि रु. 2,000/- नगद/ बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक (यदि वेब साईट से डॉउन लोड कर आवेदन पत्र का उपयोग किया गया हो)।

➤ लिफाफा :- B- में निम्नानुसार रखा जावें।

- P.F./ E.P.F. का लायसेंस अगर आप इसके दायरे में आते है तो।
- फर्म के 01 वर्ष का स्थापना का लायसेंस।
- शासकीय कार्य के अनुभवी को प्राथमिकता जो कि वर्तमान में अधिक स्थानों पर कार्यरत हो।
- चरित्र प्रमाण-पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित)।
- आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड)।
- टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया हुआ हो।
- नगर निगम/सक्षम अधिकारी खाद्य विभाग द्वारा कार्य हेतु योग्यता के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र/ लाईसेन्स।
- जी.एस.टी. नं. एवं पेन नं. अनिवार्य हैं।
- फोटोयुक्त पहचान पत्र - आधार कार्ड या ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य हैं।

➤ लिफाफा :- C- में निम्नानुसार रखा जावें।

- वित्तीय प्रस्ताव जो कि आवेदन प्रपत्र के निर्धारित प्रपत्र "C" में पूर्ण स्पष्ट रूप से भरा एवं हस्ताक्षरित हों, काट-छाट स्वीकार नहीं होगी।

➤ बड़े लिफाफे में लिफाफा A,B,C निम्नानुसार रखें जावे।

- उपरोक्त समस्त सील बंद लिफाफे एक बड़े लिफाफे में बंद करते हुए सील किये जावें।
- प्रत्येक लिफाफे पर प्रस्ताव एवं लिफाफा क्रमांक भी अंकित होना चाहिए।
- समस्त प्रस्ताव अधिष्ठाता महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के नाम से जमा किया जाना चाहिए।
- लिफाफे पर आवेदनकर्ता का नाम, पूर्ण पता एवं मोबाईल नं. अंकित किया जावें।

**(G) अन्य आवश्यक शर्तें ।**


- 1 लगभग 200-300 वर्ग फीट एकीकृत सुविधा के साथ सार्वजनिक शौचालयों का संचालन और रखरखाव करना होगा।
- 2 उपयोगकर्ताओं को स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए शौचालयों में स्वच्छता, सुरक्षा और सुरक्षित प्रवेश प्रणाली रखनी होगी।
- 3 भुगतान की राशि की रसीद दी जावे एवं प्रवेश शुल्क स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- 4 आधुनिक एकीकृत वेंडिंग सुविधा में बोटलबंद पेयजल, पेय पदार्थ, पेकड खाद्य प्रदार्थ एवं समाचार पत्र बेचे जा सकेंगे, जिनकी दरें एम.आर.पी. से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं चि.म. प्रशासन द्वारा अनुमोदित की जाएगी।
- 5 आधुनिक एकीकृत वेंडिंग सुविधा एवं शौचालय परिसर के लिए पानी का कनेक्शन तथा बिजली के कनेक्शन का खर्च का सफल आवेदनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।
- 6 सफल आवेदनकर्ता आधुनिक एकीकृत वेंडिंग सुविधा एवं शौचालय परिसर के अंदर उचित रोशनी के लिए पर्याप्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। आवेदनकर्ता द्वारा उपभोग की गई बिजली का भुगतान किया जाएगा।
- 7 ड्रेनेज एवं वेस्ट मटेरियल के निकास व निस्तारण की समस्त जिम्मेदारी सफल आवेदनकर्ता की रहेगी।
- 8 ठेकेदार व उनके कर्मचारियों का व्यवहार एवं आचरण शालीनता पूर्ण होना चाहिये जिससे कि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं आवे।
- 9 किसी भी प्रकार की तम्बाकू उत्पाद, मदिरा एवं नानवेज के विक्रय एवं रखने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। नियम के उल्लंघन पर अनुबंध बगैर सुचना के निरस्त किया जावेगा।
- 10 प्लास्टिक के उपयोग पर शासन के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
- 11 साफ-सफाई व अन्य संबंध में नगर निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
- 12 शासन/नगर निगम/श्रम विभाग के नियमों के उल्लंघन पर होने वाली कार्यवाही की समस्त जवाबदारी सफल आवेदनकर्ता की होगी।
- 13 आवेदनकर्ता को अपने पूर्व के जीवित पंजीयन तथा सफल होने पर परिसर में स्थापित उपक्रम हेतु नगरनिगम से पंजीकरण प्रमाण पत्र 01 माह में प्रस्तुत करना होगा।
- 14 उपक्रम की स्थापना संबंधी समस्त दस्तावेज नगर निगम द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुक्रम में संस्था में प्रस्तुत करना होंगे।
- 15 किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों के संचालन एवं नियमों के उल्लंघन पर बगैर सुचना के अनुबंध निरस्त किया जावेगा।
- 16 उक्त हेतु 02 माह का अनुदान अग्रिम रूप से जमा करना होगा। 01 माह का अनुदान प्रचलित माह का रहेगा तथा एक माह का अनुदान अग्रिम रहेगा।
- 17 उपक्रम का गुणात्मक एवं मात्रात्मक मुल्यांकन अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय समिति द्वारा प्रति तीन माह में किया जाएगा एवं समिति अपना प्रतिवेदन की प्रति अधिष्ठाता कार्यालय में नियमानुसार उपलब्ध करवाएंगे। समिति द्वारा किये गये मुल्यांकन के आधार पर आगामी आधार पर ही अनुबंध की निरन्तरता पर विचार किया जावेगा।

- 18 अनुबंध प्रारम्भिक रूप में एक वर्ष हेतु किया जावेगा तथा समिति अनुशंसा व कार्य की संतोषप्रदत्ता के आधार पर एक बार में एक वर्ष से बढ़ाया जाकर अधिकतम तीन वर्ष किया जा सकेगा।
- 19 उक्त उपक्रम के लिये जगह का निर्धारण अधीक्षक महोदय की सहमति अनुसार अस्पताल में स्थान का चयन किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार के स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं रहेगी।
- 20 शौचालय परिसर में विकलांग एवं वृद्धों के लिए स्किंड फ्री रैम्प के साथ बाधा रहित मार्ग होना चाहिए।
- 21 शौचालय परिसर में कम से कम दो उचित द्वि-भाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) दिशा निर्देश होना चाहिए।
- 22 शौचालय परिसर में टाइलेट पेपर, सिंक, हैंडवॉश, पेपर टावेल आदि की सुविधा हर समय उपलब्ध होना अनिवार्य है।
- 23 कचरा पात्र का प्रावधान, डिस्पोजेबल कैंरी बेग के साथ शौचालय परिसर के बाहर भी होने चाहिए। कचरा पात्र दो प्रकार के होने चाहिए। हरे रंग के बिन को जैविक अपशिष्ट जैसे की खाद्य पदार्थ के बचे हुये हिस्से, कागज और अन्य जैव अपघटनीय कचरे को अलग करने के लिए और अकार्बनिक कचरे जैसे प्लास्टिक, बौतल आदि के लिए एक अलग नीले रंग का बिन।
- 24 शौचालयों की स्वच्छता की स्थिति को साफ करने और बनाए रखने और हर उपयोग के बाद उसी की जांच करने के लिए एक रखरखाव स्टाफ की पूर्णकालिक तैनाती,वर्दी में होनी चाहिए।
- 25 उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित और सुरक्षित दरवाजे का प्रावधान होना चाहिए।
- 26 बाहरी गतिविधियों की निगरानी के लिए आउटडोर सीसीटीवी होनी चाहिए।
- 27 आधुनिक एकीकृत बेंडिंग सुविधा में खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं को fssai मानकों/दिशा निर्देशों के अनुसार बेचना होगा।
- 28 अभिगम्यता, सुरक्षा एवं स्वच्छता का स्तर शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखना होगा।
- 29 शिकायत एवं सुझाव पेट्री की उपलब्धता का निर्धारण सफल आवेदनकर्ता करना होगा जिसका मुल्यांकन तीन माह में अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जावेगा।
- 30 आवेदनकर्ता के पास शौचालय परिसरों के संचालन और रख रखाव के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। आवेदनकर्ता को उन कर्मचारियों को प्रबंधित करने का अनुभव होना चाहिए।
- 31 आवेदनकर्ता के पास वैध GSTIN होना चाहिए।
- 32 आवेदनकर्ता के पास पिछले एक आकलन वर्ष के लिए वैध आयकार रिटर्न और पेन कार्ड होना चाहिए।
- 33 आवेदनकर्ता को भारत में किसी प्राधिकरण द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाना चाहिए, इस आशय के सदर्थ में बोली के साथ एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 34 आवेदनकर्ता को संचालन और रखरखाव के लिए "मानक" कार्य विधि" के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
- 35 निविदा अवधि समाप्ति के बाद, वेंडिंग सुविधा से जुड़े सभी चल संपत्ति का स्वामित्व के पास रहेगा। हस्तांतरण के पूर्व आवेदनकर्ता को वेंडिंग सुविधा से जुड़े सभी चल संपत्ति हटानी होगी।
- 36 शौचालयों का संचालन प्रतिदिन 24\*7 का रहेगा तथा हर उपयोग के बाद जांच व सफाई की जावेगी।
- 37 प्रति वर्ष अनुदान राशि में नियत 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जावेगी तथा पानी व बिजली बिल पृथक से देय होगा।
- 38 उपक्रम का समय 24 घंटे उपलब्ध कराना होगा।

- 39 ठेका मंजूर होने के दिवस से एक माह के भीतर, आपको कार्य शुरू करना होगा अन्यथा कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात हो जावेगी ।
- 40 ठेका स्वीकृति के पश्चात् ठेकेदार को निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करना होगा । इसका सम्पूर्ण व्यय सफल आवेदनकार को ही वहन करना होगा ।
- 41 ठेका प्रारम्भ करने के पूर्व ठेकेदार को चार्ज समिति से लिखित में प्राप्त करना होगा तथा ठेका समाप्ति पर तुरन्त ठेकेदार को अपना निजी सामान हटाकर चार्ज सात दिवस के अन्दर समिति को अथवा अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर अथवा अधीक्षक म.य. चिकित्सालय द्वारा आदेशित व्यक्ति को सौंपना होगा । निश्चित अवधि के बाद उसके किसी भी भाग का आधिपत्य न देना शासकीय भूमि व संपत्ति पर अनाधिकृत अतिक्रमण माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में 3000/-रु. प्रतिदिन का अर्थदण्ड तो लिया ही जावेगा/वसूल किया जावेगा , साथ ही इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही भी की जावेगी ।
- 42 उपक्रम में ईंधन के लिये ठेकेदार द्वारा व्यवसायिक LPG गैस का ही उपयोग किया जाना आवश्यक है । डोमेस्टिक LPG गैस का उपयोग प्रतिबंधित है एवं इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी ठेका संचालक की होगी ।
- 43 ठेकेदार को आवश्यकतानुसार कर्मचारी रखना होंगे। उनकी पोशाख एकसमान तथा साफ-सुथरी होना अनिवार्य हैं तथा कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाखून और बालों की सफाई अनिवार्य हैं। कर्मचारी के रूप में रोगी एवं बीमार व्यक्ति तथा बाल मजदुर प्रतिबंधित रहेगे। बाल मजदुर रखने पर उसकी समस्त जवाबदारी ठेका संचालक की होगी ।
- 44 शर्तों के साथ निम्नांकित वचन पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित) आवेदनकर्ता को देना होगा :
- (अ) आवेदनकर्ता शासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेकलिस्टेड घोषित न किया गया हो ।
- (ब) मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने आवेदन प्रपत्र एवं आवेदन की शर्तें पूर्णतः पढ़ ली है तथा मुझे सभी शर्तें स्वीकार हैं (आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर एवं दो गवाहों के हस्ताक्षर नाम, पते एवं फोन नं. के साथ होना आवश्यक है)
- अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय /अधीक्षक म.य. चिकित्सालय/ समिति के सदस्य अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा किस भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने अथवा आवेदन की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर प्रत्येक अवसर पर समिति द्वारा निर्धारित कार्यवाही (दण्डात्मक कार्यवाही) के लियें बाध्य रहेगा ।
- 45 तीन निरीक्षणों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो तत्काल प्रभाव से 3 माह का नोटिस देकर ठेका निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा ।
- 46 शुद्ध पानी ( R.O. System ) की पर्याप्त व्यवस्था ठेकेदार को रखना होगी तथा हाथ धोने के स्थान पर साबुन एवं टावेल रखना होगा। पीने के पानी का एवं हाथ धोने का स्थान अलग-अलग होना चाहिए, जिसकी व्यवस्था ठेका संचालक को स्वयं को करनी होगी ।
- 47 समय से पूर्व या कार्य दिवस पर बंद होने की अवस्था में यथा संभव 3 दिन पूर्व सूचना अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय / अधीक्षक म.य. चिकित्सालय को लिखित रूप में देनी होगी ।
- 48 दो माह की अग्रिम अनुदान राशि कार्य आवंटित होने के एक सप्ताह के भीतर लेखा शाखा में जमा कराना होगा । तदुपरांत प्रतिमाह की प्रथम तारीख को/अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस को संस्था की लेखा शाखा में प्रत्येक माह का किराया जमा कराना होगा । अनुदान राशि विलम्ब होने पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन के मान से शुल्क जमा करना होगा व निरन्तर तीन माह का अनुदान जमा ना करने पर निरस्तकरण की कार्यवाही बिना सूचना के संपादित की जावेगी ।
- 49 ठेका संचालक को बिजली के उपयोग के लिये MPPKVCL द्वारा प्रमाणित एक सब मीटर लगवाना होगा । जिसका बिल ठेकेदार को नियमित रूप से प्रतिमाह बिल की समयावधि में संस्था में जमा करना होगा एवं इलेक्ट्रीक शुल्क वर्तमान MPPKVCL की व्यवसायिक दर से देय होगा। MPPKVCL द्वारा दरें वृद्धि करने



- पर तदनुसार वृद्धि की जावेगी। बिलो का नियमित भुगतान न करने पर आपके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि से इसका कटौती किया जावेगा।
- 50 किसी भी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में ठेका स्वीकृत करने अथवा न करने अथवा मध्यावधि में ही बिना किसी कारण बताये ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को रहेगा ।
  - 51 उपक्रम में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री एवं बनी हुई सामग्री की गुणवत्ता की जांच शासन के सक्षम अधिकारी/संस्थान के अधिष्ठाता/अधीक्षक म.य. चिकित्सालय/संस्था द्वारा इस हेतु बनाई गई समिति द्वारा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है।
  - 52 ठेकेदार को उपयोग के लिये उत्तम किस्म के आवश्यक फर्नीचर (सनमायका टॉप) स्टेनलेस स्टील के बर्तन व उच्च प्रकार की काकरी आदि की व्यवस्था स्वयं करना होगी । प्लास्टिक बर्तन/डिस्पोजल का उपयोग वर्जित रहेगा।
  - 53 उपक्रम में फर्श ,फर्नीचर आदि की हमेशा नियमित सफाई रखनी होगी । खाद्य सामग्री को जालीदार अथवा कांच की अलमारी में बन्द कर रखना होगा । आसपास के एरिया में भी स्वयं के खर्च पर सफाई रखना होगी तथा कवर युक्त डस्टबीन ही रखे जावे ।
  - 54 प्रदाय किये जाने वाले पदार्थ शुद्ध एवं उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जावे । इस संबंध में अधिष्ठाता/अधीक्षक म.य. चि. द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का भी पालन करना होगा।
  - 55 खाद्य सामग्री उत्तम गुणवत्ता की कच्ची सामग्री उपयोग करते हुए बनाना होगा। रिफाईन्ड तेल का उपयोग करना होगा। एक दिन पूर्व की बनी हुई खाद्य सामग्री का उपयोग वर्जित रहेगा ।
  - 56 ठेकेदार को उपक्रम स्वयं चलाना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित अथवा सबलेट नहीं कर सकेगा । ऐसा करने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
  - 57 संस्थान द्वारा जारी शर्तों के अतिरिक्त, ठेकेदार की किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
  - 58 किसी भी प्रकार का उपद्रव ,आपत्तिजनक शोरगुल पूर्णतः निषेध रहेगा । अनुशासन व शांति बनाये रखना ठेकेदार का ही कर्तव्य होगा ।
  - 59 खाद्य सामग्री को रखने के लिये फ्रिज एवं चीलर आवश्यक रूप से रखना होगा।
  - 60 जो कर्मचारी रखे जावें उनकी सूची ,फोटो, पते एवं फोन न. आदि अधिष्ठाता कार्यालय/ अधीक्षक म.य. चिकित्सालय के कार्यालय में समय-समय पर देना होंगे, बाल मजदुर प्रतिबंधित रहेगे तथा सभी का पुलिस वैरिफिकेशन अनिवार्य होगा ।
  - 61 कार्य करने वाले कर्मचारी अपनी किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वयं ही जवाबदार होगा।
  - 62 अधिष्ठाता चि. महाविद्यालय इन्दौर को उपरोक्त शर्तों में कमी अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है।
  - 63 इस संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर का होगा व उनका निर्णय अंतिम होगा ।
  - 64 संस्थान को किसी भी प्रकार की बकाया राशि ,जमा की गई सुरक्षा धन राशि में से वसूल की जावेगी ।
  - 65 किसी भी प्रकार की न्यायलयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र इन्दौर रहेगा ।
  - 66 अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को कोई भी आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार रहेगा ।
  - 67 आवेदनकर्ता के आवेदन प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित होना चाहिए तथा आवेदन स्पष्ट होना चाहिए। कांट-छांट नहीं होना चाहिए । अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत की जावेगी।



(Dr. Sanjay Dixit)

अधिष्ठाता

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय  
इन्दौर

मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है मैंने महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के अंतर्गत आने वाले संस्थान म.य. चिकित्सालय परिसर में आधुनिक एकीकृत वेडिंग सुविधा के साथ सार्वजनिक शौचालय का संचालन व रखरखाव के ठेके की शर्तें अच्छी तरह से पढ़ व समझ ली है, जो मुझे मान्य है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :- .....

नाम एवं पूर्ण पता :- .....

.....

संस्था का नाम.....

संस्था की सील.....

दिनांक:- .....

महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

प्रपत्र-अ

धरोहर राशि का विवरण (प्रारूप)

1. किस हेतु अवेदन किया गया .....
2. राशि रू .....
3. एफ. डी. आर ( 3 वर्ष ) की अवधि (केवल राष्ट्रीयकृत बैंक).....
4. जारी होने का दिनांक .....
5. जारी करने वाले बैंक का नाम व शाखा का नाम/पता .....
- .....
6. भुगतान का स्थान.....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :- .....

नाम एवं पूर्ण पता :- .....

संस्था का नाम.....

संस्था की सील.....

दिनांक:-.....

# महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

## प्रपत्र-ब

संस्था का नाम तथा किस हेतु आवेदन किया गया .....

➤ लिफाफा:- B - मे निम्नानुसार रखा जावे।

- P.F./ E.P.F. का लायसेंस अगर आप इसके दायरे में आते है तो।
- फर्म के 01 वर्ष का स्थापना का लायसेंस।
- शासकीय कार्य के अनुभवी को प्राथमिकता जो कि वर्तमान में अधिक स्थानों पर कार्यरत हो।
- चरित्र प्रमाण-पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित)।
- आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड) ।
- टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया हुआ हो।
- नगर निगम/सक्षम अधिकारी खाद्य विभाग द्वारा कार्य हेतु योग्यता के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र/ लाईसेन्स।
- जी.एस.टी. नं. एवं पेन नं. अनिवार्य हैं।
- फोटोयुक्त पहचान पत्र - आधार कार्ड या ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :- .....

नाम एवं पूर्ण पता :- .....

.....

संस्था का नाम.....

संस्था की सील.....

दिनांक:-.....

# महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

## प्रपत्र-स

- संस्था का नाम तथा किस हेतु आवेदन किया गया .....
- दर सूची जो कि आवेदनकार द्वारा स्पष्ट अक्षरो में भरकर एवं हस्ताक्षर कर एवं सील लगाकर लिफाफा "C" में रखी जावेगी ।
  1. संस्थानो के इस कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये निर्धारित स्थानो का उपलब्ध क्षेत्रफल जो कि कैंटीन संचालक को संचालन हेतु दिया जावेगा, अन्य क्षेत्र का उपयोग निषेध होगा। निम्नलिखित कैंटीनो का अनुदान प्रतिमाह आवेदनकर्ता को आपने प्रस्ताव में उल्लेखित करना होगा तथा उक्त स्थानो का न्यूनतम अनुदान प्रतिमाह रहेगा जो की निम्नानुसार है :-

क्रमांक	स्थान	न्यूनतम अनुदान प्रतिमाह	अनुदान प्रतिमाह आवेदनकर्ता द्वारा भरा जावेगा
01	अधीक्षक म.य. चिकित्सालय, इंदौर	20,000 /-(बीस हजार रु.)	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :- .....

नाम एवं पूर्ण पता :- .....

.....

संस्था का नाम.....

संस्था की सील.....

दिनांक:-.....